कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक: 460/नक्शा/का०वि०/जि०पं०/2010-11 दिनांक: 29 नवम्बर, 2010

सचिव/अधिकृत हस्ताक्षरी
पहाड़ी माता सहकारी आवास समिति लि०
वी-2 विनय खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.7.2010 के साथ भूमि खसरा संख्या 761, 762, 763(अ, ब, स) तथा 763 अ स्थित ग्राम अनौरा चिनहट लखनऊ पर "ग्रुप हाउसिंग" आवासीय भवन मानचित्र के मानचित्र की दो संलग्न ब्लू प्रिंट प्रतियाँ जो मुख्य अग्नि शमन अधिकारी लखनऊ के प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र संख्या: न-31/एफ.एस.-10 दिनांक 16 जुलाई, 2010 की शर्तों के अनुरूप अनुमोदित मानचित्र में प्रदर्शित कुल कवर्ड एरिया 68362.32वर्ग मी तक निर्माण के उक्त मानचित्र की स्वीकृति पर सम्यक विचारोपरान्त मा० अध्यक्ष जी द्वारा दिनांक 23.11.2010 को उक्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मा० अध्यक्ष जी की स्वीकृति दिनांक 23.11.2010 के अनुक्रम में "ग्रुप हाउसिंग" भवन मानचित्र में प्रदर्शित ढाँचागत संरचना के अनुरूप निम्नलिखित प्रतिबंध सहित निर्माण मानचित्र को स्वीकृत किया जाता है:--

1- भवन का कुर्सी तल मार्ग की सतह से 0.45 मी० तक का रखा जाये।

2- प्रस्तावित भवन के पहुँच मार्ग एवं उसमें क्रास ड्रेनेज हेतु पुलिया का निर्माण, निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया जाये, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त जिला पंचायत के क्षेत्रीय अवर अभियंता के निरीक्षण के उपरान्त ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3- जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाय।

4- मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबंधित दूरी के संबंध में रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 एवं तत्संबंधी आदेश यथावत् लागू रहेंगे तथा उनका पालन करना अनिवार्य होगा।

5- प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करते समय एवं निर्माणाधीन अवधि में कोई भी सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाय।

6- प्रतिबंध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उपरोक्त खसरा संख्या 761, 762, 763(अ, ब, स) तथा 763 स्थित ग्राम अनौरा चिनहट, लखनऊ के कवर्ड एरिया 68362.32 वर्ग मी० तक का ही निर्माण किया जा सकेगा।

7- प्रतिबंध रहेगा कि भूमि खसरा संख्या 761, 762, 763(अ, ब, स) तथा 763अ स्थित ग्राम अनौरा फैजाबाद रोड, लखनऊ का भू-उपयोग परिवर्तन आदेश छः माह में प्रस्तुत करना होगा। भू-उपयोग परिवर्तित कराये बिना ग्रुप हाउसिंग आवासीय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित हो तो बिना जिला पंचायत, लखनऊ के स्वीकृत कराये परिवर्तन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अपर मुख्य अधिकारी 25.11.10
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ।

Scanned by CamScanner